

HRC an USIUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

MIN III—BOS 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 4] No. 4] नई दिल्ली, यंगलवार, जनवरी 5, 2010/पौष 15, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2010/PAUSA 15, 1931

ऊर्जा दक्षता ब्यूरी

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2010⁹

सं. 2/11(5)/03-बीईई-1.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (दुबुलर फ्लोरेंस लैम्पों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2009 का प्रारूप, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संधावना थी, राजपत्र में प्रकार्शन की तारीख से पैंतालीस दिन की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, धारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 111, खण्ड 4, तारीख 9 नवम्बर, 2009 में सं. 2/11(5)/03-बीईई-1, तारीख 5 नवम्बर, 2009 हारा प्रकाशित क्रिया गया था;

और उक्त प्रारूप विनियमों की राजपत्र प्रतियां पूर्वोक्त राजपत्र में 9 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्निलिखत विनियम बनाता है, अर्थात् :---

- 1. संक्षिप्त चाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (दुबुलर फ्लोरेंस लैग्पों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) संशोधन विनियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरॅस लेम्म के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम फहा भया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,—
 - (क) खंड (क) के पश्चांत् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(कक) 'प्ररूप' से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं;";
 - (ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(गक) 'अनुज्ञा-पत्र धारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको विनियम 7 के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई है;";
- 3. मूल विनियम में, विनियम 5, के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 33 Gl/2010 (!)

- "6. लेबल के संप्रदर्श के लिए अनुज्ञा--(1) ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्ति के बिना कोई लेबल टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर नहीं लगाया जाएगा ।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन प्ररुप । या इलेक्ट्रानिक प्ररुप में किया जाएगा ।

परंतु दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के प्रत्येक मॉडल के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा ।

- (3) उपविनियम (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित लगे होंगे-
- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट या संदाय के किसी इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय एक हजार रुपए की आवेदन फीस ;
- (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस या संदाय किसी इलेक्ट्रानिक ढंग से ; और
- (ग) उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज ।
- 7. अनुज्ञा की मंजूरी-(1) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। ब्यूरो इस प्रकार प्राप्ति की तारीख से एक मास की अविध के भीतर विनियम 8 में विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन प्ररुप 2 या इलेक्ट्रानिक प्ररुप में टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर लेबल चिपकाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा जारी करेगा।
- (2) ब्यूरो प्ररुप 3 में रिजस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम रिजस्टर करेगा ।
- (3) उपविनियम (1) के अधीन इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञा, तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और जिसे तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेंगा !
- (4) अनुज्ञा के नवीकरण के लिए कोई आवेदन इसकी समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व किया जाएगा और उसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट में या संदाय के इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा संदेय पांच सौ रुपए की फीस लगी होगी।
- (5) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और यह समाधान हो जाने पर कि इसमें साथ सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप 2 में अनुज्ञा की नवीकरण कर सकेगा।
- 8. लेबल पर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्ते—प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :--
- (क) दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर अधिनयम की घारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा ।
- (ख) लेबल केवल ऐसे दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है ;
- (ग) अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर, लेबल को मुद्रित करेगा और टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर चिपकाएगा ;
- (घ) अनुज्ञा-पत्र धारी यह सुनिश्चित करेगा कि दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर हर समय अनुरक्षित रखा जाता है ;
- (ड) आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;

5

- (च) अनुज्ञा-पत्र धारी लेबलीकृत उपरकर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट एक विवरण और वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भूत लेबल की फीस प्रस्तुत करेगा।
- (छ) अनुज्ञा-पत्र धारी ऐसा अन्य निबंधन और शर्तों का पालन करेगा जिसे ब्यूरो विनिर्दिष्ट कर सकें।
- 9. लेबल फीस-(1) प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र धारी ब्यूरो को टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर पांच पैसे की लेबल फीस का संदाय करेगा ।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएंगी ;

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस उस पर दस प्रतिशत ब्याज सहित संदत शोध्य रकम वसूल कर सकेगा।

- 10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय--विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अध्यधीन, टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का विनिर्माण न होने पर अनुज्ञा-पत्र धारी लेबल प्रतिभृति के संदाय का हकदार होगा ।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन--(1) ब्यूरा, रवप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प सितारा रतर और लेबल पर प्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप और अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों का अनुपालन करता है।
- (2) जहां उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त की गई शिकायत का ब्यूरो द्वारा सत्यापित किसी प्रयोगशाला में दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का परीक्षण अपेक्षित है वहां ऐसे परीक्षण करने के लिए समनुदेशिती को सूचना जारी की जाएगी और शिकायतकर्ता से ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन और अन्य आनुषंगिक व्यय से संबंधित, जो ब्यूरो द्वारा अग्रिम में अवधारित किए जाएं ऐसे व्यय जमा करने के लिए कहा जाएगा।
- (3) जहां परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के नमूने परीक्षण में असफल हो जाते हैं, वहां ब्यूरो अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी लागत पर दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के प्रथम परीक्षण नमूनों की दुगनी मात्रा सहित दूसरा परीक्षण को संचालित करेगा।
- (4) जहां दूसरा परीक्षण भी असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो यह निदेश देगा कि अनुज्ञा-पत्र धारी दो मास की अवधि के भीतर --
- (क) टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित सितारा स्तर को शुद्ध करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और किमयों को दूर करेगा ;
 - (ख) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा ; और
 - (ग) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा ।
- (5) जहां अनुज्ञा-पत्र धारी उपविनियम (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो,--
 - (क) अनुज्ञा वापस ले लेगा ;
 - (ख) उपभोक्तओं को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो वह उपयुक्त समझे ;
- (ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन ऐसे अनुज्ञा-पत्र धारी के विरुद्ध न्यायनिर्णायक कार्रवाइयां आरंभ करेगा ।

O O O O

12. अनुज्ञा का रहकरण--व्यूरो, विनियम 7 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा को वापस ले सकेगा यदि अनुज्ञा-पन्न धारी,--

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किन्ही निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है।

अजय माथुर, महानिदेशक [विज्ञापन []]/4/असा./185/2009]

प्ररुप 1

[विनियम 6 देखिए]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 के अधीन टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

सेवा में,
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन
सेक्टर-1, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066
भारत

मैं/हम जो टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के विनिर्माणकर्ता हूं/हैं
(कारोबार का पूरा नाम)
रहा हूं/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां
और रीति) विनियम, 2009 के अधीन उपाबंध में परिभाषित दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के संबंध में ब्यूरो द्वारा विहित
लेबल के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।
2. निर्माणकारी सुविधा : उपर्युक्त उपस्कर का(कंपनी का नाम) द्वारा और
(कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया जाता है ।
3. जानकारी का ब्यौरा : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परिक्षण के लिए प्रमाण पत्र उत्पाद लेबल से
संबंधित जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं । फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार/उद्योग निदेशक (लघु
उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके

विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न की
जाती है ।
क) आवेदक :
को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए
उत्तरदायी होगा ।
ख) संपर्क व्यक्ति : को (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग
के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।
ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है, ब्यूरो
को संसूचित करने का वचन देता हूं/देते हैं ।
4. क्वालिटी मानकों से अनुरुपता : मैं/हम(उपस्कर का नाम) के
लिए
(मानक का नाम और संख्या)के अनुसार क्वालिटी प्रणाली/अन्य मानकों
(मानक का नाम ओर संख्यां) के संबंध में भारतीय मानक/अन्य अंतराष्ट्रीय मानक ब्यूरो की पुष्टि करता हूं/हैं ।
उपर्युक्त उपरकर के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाती है ।
मेरे /हमारे पास उपस्कर की क्वालिटी में सघनता सुनिश्चित करने के लिए
प्रयोगशाला के ब्यौर :
क) परीक्षण ब्यौरे : (परीक्षण प्रक्रियाएं/नाम/संख्या)
ख) प्रत्ययन प्रास्थिति :
ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :
5. उक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार तथा प्राक्कलन निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपस्कर का अधिकतम फुटकर मूल्य (रुपए)
पिछले वर्ष			
सेतक चालू वर्ष			
सेतक (प्राक्कलन)			

6	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART III—SEC. 4]
6.(क) डीडी सं0 की आवेदन फीस संदत्त की गई	तारीख/इलेक्ट्रानिक ढंग द्वारा । हैं ।	एक हजार रुपए
	/इलेक्ट्रानिक ढं ल प्रतिभूति फीस संदत्त की गई है ।	ग द्वारा एक लाख
(ग) प्रंति लेबल 5 पैसा प्रति	लेबल संदाय करने के लिए मैं सहमत हूं/हैं।	
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट	सभी निबंधन और शर्ती का अनुपालन करता हूं/करते हैं	ओर ब्यूरो द्वारा की जाने
वाली किसी जांच के लिए आवर	रयक सहायता/सहयोग का विस्तार करने के लिए सहमत ह	討卷 1
8. मैं/हम सत्यापन तथा चुनौती	परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता व	यूरो को प्राधिकृत करता
हं/करते हैं और इस बाबत व्यूरो	के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।	
9. मैं/हम बचनबंध करता हूं/कर	रते हैं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में आवेदन में दी गई जानका	री सही है और अगर दी
गई जानकारी गलत पाई जाती	है तो आवेदन अस्वीकृत किया जाए ।	
तारीख	हस्ताक्षर	
	नाम	
		(फर्म का नाम)
	के	लिए और उसकी ओर से
		फर्म की मुद्रा

उपाबंध (प्ररूप 1 का पैरा 3 देखिए) जानकारी के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

विनिर्माणकर्ता का नाम और ब्रांड
टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का आकार मिलीमीटर में
टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के रंग का तापमान
टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का व्यापार नाम
मॉडल तथा विनिर्माण वर्ष
व्यापार चिन्हों की रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख
टुदुलर फ्लोरोसेंट लैम्प की रेटिंग वाट में
अतिरिक्त जानकारी
(टुबुलर फ्लोरोरोंट लैम्प का रंग-तापमान)
भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणपत्र का ब्यौरा
(प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
क्वालिटी प्रणाली प्रमाणपत्र के ब्यौरा
(प्रमाणपत्र की प्रति संलगन करें)

क्रम सं0	मॉडल का नाम/संख्या	प्रकाशमान क्षमता का ब्यौरा	घोषित सितांरा स्तर या दक्षता स्तर	टिप्पणियां

2. कंपनी के ब्योरे

2: 4:4-11 47	
कंपनी का नाम	
पता	
पिनकोड	
राज्य	
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	

3.विनिर्माण सुविधा के ब्यौरे

पता	
पिनकोड	
राज्य	

しているこうこうこうこうこう

फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	
कोई अन्य ब्याँरे	

परीक्षण मानक का नाम, संख्या और वर्ष	
परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्रस्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं0	
फैक्स नं0	
ई-मेल	
वेब साइट	

5. उत्पाद के ब्यौरे

प्रारंभ की तारीख		
बीईई के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या प्रथम वर्ष के लिए- दूसरे वर्ष के लिए- तीसरे वर्ष के लिए		
उत्पाद क्रम सं0	से	तक
परीक्षण रिपोर्ट		
नमूना रिपोर्ट		

6. लेबल के ब्यौरे

सितारा रेटिंग/सितारा स्तर	
बाह्य मामलों में लेबल पर प्रदर्शित अन्य	
जानकारी (ऊर्जा खपत)	

7.संदाय के ब्यौरे यदि अग्रिम में संदाय करना प्रस्तावित है (वैकल्पिक)

बल लगाने की फीस कुल रकम/संदाय के ब्यौरे
रकम : क्रॉस किए गए बैंक ड्राफ्ट के ब तारीख :

तारीख

हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	
के लिए और ए	उसकी ओर से
(फर्म का नाम)
	फर्म की मुद्रा

प्ररुप 2 (विनियम 7 देखिए) अनुज्ञा/अनुज्ञा का नवीकरण सं0..... ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में

- 1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरों (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम,2009 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरों इस उपाबद्ध में दिए गए अनुमोदन के ब्यौरों के अनुसार लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात करता है।
- 2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है--
- (क) दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए के लेबल पर दर्शित सितारा स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए ऊर्जा खपत मानक के रूप होगा ;

334410-2

- (ख) दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के केवल ऐसे मॉडलों पर लेबल लगाया जाएगा जिसमें लिए अनुज्ञा की मंजूरी की गई है ;
- (ग) अनुज्ञा-पत्र धारी की लागत पर दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर लेबल का मुद्रित किया जाएगा और लगाया जाएगा ।
- (घ) अनुज्ञा-पत्र घारी यह सुनिश्चित करेगा कि टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर सितार स्तर को हर समय अनुरक्षित किया जाएगा ;
- (डं) अनुज्ञा-पत्र धारी प्रति लेबल पांच पैसे की लेबल फीस का संदाय करेगा
- (च) अनुज्ञा-पत्र धारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपरकर के उत्पादन के ब्यौरे और उद्भूत देय लेबल फीस का विवरण ब्यूरों को प्रस्तुत करेगा और वही ब्यौरे ब्यूरों को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे ;
- (छ) अनुज्ञा-पत्र धारी टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा जब ब्यूरो चाहे, जिसके लिए अनुज्ञा को मंजूरी दी गई हैं।

- 5. जहां पुनर्विलोकन पर सितारा स्तर योजना को ब्यूरो द्वारा संशोधित किया जाता है और टुंबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का सितारा स्तर संशोधित हो जाता है, वहां आवेदक नयी अनुज्ञा प्राप्त करेगा ।
- 6. तारीख.......को हस्ताक्षरित किया गया और मुहर बंद किया गया ।

(सचिव) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध (प्ररुप 2 का पैरा 1 देखिए) अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का आकार मिलीमीटर में
टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के रंग का तापमान
विनिर्माण वर्ष
व्यापार चिन्ह की रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख
दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प की रेटिंग वाट में
अतिरिक्त जानकारी
(दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प का रंग-तापमान)

क्रम सं0	मॉडल का नाम और संख्या	मापी गई प्रकाशमान क्षमता	रेटेड प्रकाशमान क्षमता	घोषित सितारा स्तर या दक्षता स्तर	टिप्पणियां

2. लेबल के ब्यौरे

सितारा रेटिंग/सितारा स्तर	
बाह्य मामलों में लेबल पर दर्शित अन्य जानकारी	
यूनिक लेबल श्रंखला कोड	

- 3. आउटर कास्टिंग और स्लीव पर स्टांपित किए जाने के लिए सितारा चिन्हांकन लेबल का अनुमोदित नमूना
- 1. आउटर कास्टिंग




		158 5 mm.			
BEE STAR RATING PLAN					
STAR RATING			***	****	****
there are dieter a feather of 1800	cit	61 4 <67	>+67 4 <86	>186 8 <92	>=85
Lime . T. at a Colors of me	452	1-524-57	**57 & -7?	>-71 £ <43	>-83
Later of Contract Contract and	+49	>49 A c54	>454 6 473	>=7.5 A <78	>=78

Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



पत्र में यूनिक लेबल श्रंखला कोड दिया गया है जिसे दुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प की आउटर कास्टिंग पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है।

2. स्लीव



4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंतिवस्तु तथा ब्यूरो लोगों की रंग स्कीम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (टुबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 की अनुसूची के यथा विनिर्दिष्ट होगी।

तारीख

हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	
के लिए और उसकी ओर से	
(फर्म का नाम)	
फर्म की मुद्रा	

प्ररूप 3 [विनियम 7(2) देखिए] अनुज्ञा-पत्र धारियों का रजिस्टर

क्रम सं0		अनुज्ञा-पत्र धारी का नाम और ब्यौरे (संपर्कः व्यक्ति, पता पिन कोड राज्य, फोन नं0 फैक्स नं0, ई-मेल, वेबसाईट)	ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई	सितारा स्तर या दक्षता स्तर	संख्या और यूनिक लेबल	जिसके लिए
1	2	3	4	5	6	7

लेबल प्रतिभूति की सभी रकम	क्रास डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) इलेक्ट्रानिक संव्यवहार (ब्यौरे) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस : तारीख :	आवेदन फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राप्ट ब्यौरा/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरे : तारीख :
8	9	10

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबल की संख्या		लेबल फीस, प्राप्त रकम का ब्यौरा (क्रास डिमांड ड्राफ्ट ब्यौर/इलेक्ट्रानिक संव्यवहार ब्यौरा) ; तारीख :)	टिप्पणियां
11	12	13	14

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2010

No. 2/11(5)/03-BEE-1.—Whereas the draft of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Amendment Regulations 2009, was published vide number 2/11(5)/03-BEE-1, dated the 5th November,2009 in Part III, Section 4. of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th November 2009, as required under sub-section (1) of Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date of publication in the official gazette;

And whereas Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on the 9th November, 2009;

And whereas no objection or suggestion has been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 of the said Energy Conservation Act, the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on/Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Amendment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),-
 - (a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(aa)" Form" means a form appended to these regulations;";
 - (b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(ca) "permittee" means a person to whom permission has been granted under regulation 7;";

- 3. In the principal regulations, after regulation 5, the following regulations shall be inserted, namely:-
- "6. Permission for display of label.- (1) No label shall be affixed on a tubular fluorescent lamp without obtaining the permission of the Bureau.
- (2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub regulation (1), an application shall be made in Form-I or in electronic Form:

Provided that separate application shall be made for each model of tubular fluorescent lamp.

- (3) Every application under sub-regulation (2) shall be accompanied by -
- an application fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;
- a label Security Fee of rupees one lakh payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment; and
- (c) documents specified therein.
- 7. Grant of permission.-(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on tubular fluorescent lamp in Form-II or in electronic form;
- (2) The Bureau shall maintain a register in Form-III and enter the name of permittee therein.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period of three years and may be renewed for a further period of three years by the Bureau.
- (4) An application for renewal of permission shall be made at least three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any electronic mode of payment;
- (5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.
- Terms and conditions for display of particulars on label. Every permittee shall comply with the following terms and conditions, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp shall conform to energy consumption standards for tubular fluorescent lamp notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b)
- (b) the label shall be affixed only on such model of tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of tubular fluorescent lamp shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify.
- 9. Label Fee. (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five paisa on each label affixed on the tubular fluorescent lamp.
- (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. from the Label Security Fee paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6.

- 10. Refund of Label Security Fee: Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the Label Security Fee on ceasing to manufacture tubular fluorescent lamp.
- 11. Verification by the Bureau (1) The Bureau may, either suo motu, or on the complaint received by it, carry out verification to ensure that the tubular fluorescent lamp conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.
- (2) Where upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by testing the tubular fluorescent lamp in a laboratory, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by it.
- (3) Where samples of tubular fluorescent lamps used for testing fails the test, the permittee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall

conduct a second test with twice the quantity of tubular fluorescent lamps used in the first test, at the cost of the permittee.

- (4) Where the second test also fails, the Bureau shall direct that the permittee shall, within a period of two months,-
 - (a) correct the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamps or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (b) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (c) change the particulars displayed on advertising material.
- (5) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (4), the Bureau shall
 - (a) withdraw the permission;
 - . (b) notify the consumers in such manner as it deems fit;
 - (c) initiate adjudication proceedings against such permittee under section 27 of the Act.
- 12. Cancellation of Permission The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7 if the permittee -
 - (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
 - (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9.

AJAY MATHUR, Director-General [ADVT III/4/Exty./185/2009]

FORM I [See regulation 6]

Application for permission to affix label on tubular fluorescent lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009.

To,
THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVT. OF INDIA)

4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR – 1, R.K.PURAM
NEW DELHI-110 066
INDIA.

elosed. nts at	(Name and a	
cedures/name/nu	umber)	
Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
has been abelling fee of five all the terms an nce/co-operation	paid by D paisa per lal d conditions to the Burea	D.Nodated bel. specified by the Bureau u in case of any enquiry selection of sample for
should any of th	e information	
Signa Nam Design For a	aturegnation	of
	closed. Into at	nts at(Name and a fallity of the equipment. cedures/name/number) ency approval: figures of the said equipment and estimates are as follows: Production Sales rupees one thousand

Annexure [See Para 3 of Form 1]

Details of information

 Details of the Equipment 	1.	Details	of	the	Eq	ui	omen
--	----	---------	----	-----	----	----	------

1. Dotails of the Equipment	
Name of Manufacturer and Brand	
Size of Tubular Fluorescent Lamp in millimetres	
Colour temperature of Tubular Fluorescent Lamp	
Trade-name of the Tubular Fluorescent Lamp	
Model and Year of manufacturing	
Registration No. and Date of the Trade-Mark(s)	
Rating of the Tubular Fluorescent Lamp in Watts	
Additional information (Tubular Fluorescent Lamp colour temperature)	
ISI certificate details (Attach copy of the Certificate)	
Quality System certificate details (Attach copy of the Certificate)	
The state of the s	

SI.No.	Model Name / No.	Measured Luminous Efficacy	Star level or Efficiency level declared	Remarks

2. Details of the Company

2. Details of the Company	
Name of the Company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

0

Address		
Pin Code		
State		
Phone No.		
Fax No.		
E-Mail		
Web site		
Any other details	Meditie Street	
. Certification for Test details		
Name of the Test standard, No. and Year		
Name of the test Laboratory		
Accreditation status		
(Attach copy of the accreditation certificate)		
Address		
7.001.000		
Pin Code		
State		
Phone No.		V VINTER AND
Fax No.		
E-Mail		
Web site		
5. Product Details		
Date of commencement		
Number of labels applied for BEE		
for the first year -		
for the second year -		
for the third year -	_	
Product Serial No.	From	То
Test report		
Sample Label		
6. Label Details		
Star Rating / Star level		
Other information displayed on the label		
on the outer case.		

7. Payment details, if proposed to pay in advance (Optional).

No. of Labels	Labeling fee per unit	Total Amount /Details of Payment
		Amount:
		Crossed Demand draft Details:
		Date:

Date		Signature
		Name
		Designation
		For and on behalf of
		(Name of the firm) SEAL OF FIRM
	Market Street Live St.	

FORM II
[See Regulation 7]
Permission / Renewal of Permission
No.
Bureau of Energy Efficiency
New Delhi, Dated

To

- 1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009, the BUREAU hereby permits you to affix Label as per details of approvals set out in the Annexure.
- 2. This permission is subject to-
 - (a) the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp shall conform to energy consumption standards for tubular fluorescent lamp notified under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;
 - (a) the label shall be printed and affixed on the tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;
 - (b) the permittee shall ensure that the star level displayed on the label of tubular fluorescent lamp shall be maintained at all time;
 - (c) the permittee shall pay the label fee of five paisa per label;

- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;
- (g) the permittee shall make available such other details of tubular fluorescent lamp as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
- 4. The unique label series code for the equipment is, and should appear on the label as per the approved design.
- 5. Where the star level plan on review is modified by the Bureau and the star level of the tubular fluorescent lamp stand modified, you shall seek the permission afresh.
- 6. Signed, Sealed and Dated this Day of month.....year.

(Secretary)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure [See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment

1. Details of the Equipment	
Size of Tubular Fluorescent Lamp in millimetres	
Colour temperature of Tubular Fluorescent Lamp	
Year of manufacturing	
Registration No. and Date of the Trade-Mark(s)	
Rating of the Tubular Fluorescent Lamp in Watts	
Additional information (Tubular Fluorescent Lamp colour temperature)	

SI.No.	Model Name / No.		Star level or Efficiency level declared	Remarks

-2

-

-

2

2

3

2. Label Details

Star Rating / Star level	
Other information displayed on the label on the outer case.	
Unique label series code	

- Approved Specimen of Star marking label to be stamped on the outer casing and the sieeve.
 - 1. Outer Casing



BEE STAR RATING PLAN						
STAR RATING		**	111	****		
on. n. per Satt at filef) his of use						
Lumens de Walt at 100 bre of use	352	>=52 & 457	×57 4 <77	>=77 & <83	>=83	
come no per Wall of Stell his of use	243	3=49 L 654	>=54 6 <73	>×73 L <78	>=18	

Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the outer casing of the tubular fluorescent lamp.

2. Sleeve



The label design, size, colour scheme, and the content of the label and colour scheme of the Bureaus' logo shall be as specified in the schedule to the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009.

Date

Signature	
Name	
Designation	
For and on behalf of	
(Name of the firm) SEAL OF FIRM	

3

FORM III

[See Regulation 7 (2)]

Register of Permittees

SI.No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address .Pin Code, State, Phone No. ,Fax No., E-Mail, Web site)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	BEE permission number and unique label series.	Period for which the permission has been granted
1	2	3	4	5	6	7

Amount of label security fee	Label Security Fee Received by (Crossed Demand draft (Details) Electronic transaction(Details) : Date:)	Application Fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's: Date:)
8	9	10

umber of labels affixed at the end f the each financial year	Amount of labelling fee due	Labelling fees details of Amount Received (Crossed Demand draft Details/ Electronic transaction Detail's: Date:)	Remarks
11	12	13	14